कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID –cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com

क्रमांक / ..../ लो.नि.वि. / न॰पा॰नि॰ / 2023   भिलाई–चरौदा, दिनांक – ..../ ..../ 2023

// रूचि की अभिव्यक्ति //

छ.ग. शासन की अभिनव योजना मिलेट्स कैफे के संचालन **तहसील कार्यालय, भिलाई–3** के पास करने के लिये स्व. सहायता समूह/व्यक्ति/संस्था का चयन किया जाना है। उक्त कार्य हेतु **दिनांक – 11.09.2023 को समय – संध्या 05:00** बजे तक रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त आवेदन को स्वीकार नही किया जावेगा। मिलेट्स कैफे के संचालन हेतु आवश्यक अर्हताएं एवं नियम शर्ते :–

1. मिलेट्स कैफे के संचालन हेतु नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा द्वारा निर्मित सर्वसुविधायुक्त कैफे हॉउस अनुबंध पश्चात् निर्धारित समय के लिए संचालक को हस्तांतरित किया जावेगा।
2. कैफे हॉउस के हस्तांतरण पश्चात् नियत अवधि के लिए पूरा संधारण कार्य संचालक द्वारा किया जावेगा एवं कैफे हॉउस में स्थापित समस्त विद्युत उपकरण, फर्नीचर, सिविल निर्माण एवं अन्य स्थापित वस्तुओं को अनुबंध अवधि समाप्ति पश्चात् उसी स्थिति में नगर पालिक निगम, भिलाई–चिरौदा के सुपुर्द करेगा जिस स्थिति में उन्हे दिया गया था। इस हेतु आवेदक को अनुबंध के समय राशि रू. 25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये मात्र।) अमानत राशि नगर पालिक निगम, भिलाई–चिरौदा में जमा करना होगा।
3. मिलेट्स कैफे में संचालक को सिर्फ मिलेट्स से निर्मित व्यंजनो के विक्रय की अनुमति होगी। अन्य व्यंजनो की बिक्री हेतु नगर पालिक निगम, भिलाई–चिरौदा से पूर्व अनुमति अनिवार्य होगा।
4. मिलेट्स कैफे के संचालन में आवश्यक कर्मचारियों/श्रमिको में कम से कम तीन चौथाई (75 प्रतिशत) महिलाओं का नियोजन किया जाना आवश्यक होगा।
5. मिलेट्स कैफे के संचालन के लिए E.O.I. के साथ **राशि रू. 5,000.00** मात्र का अमानत राशि F.D.R. के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा के नाम से जमा करना होगा।
6. ऑफरदाता को लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का F.D.R. एवं लिफाफा "ब" में रूचि की अभिव्यक्ति का ऑफर पत्र पंजीयन प्रमाण पत्र (नोटरी/स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) प्रस्तुत करना होगा।
7. लिफाफा **"अ"** एवं **"ब"** लिफाफा के पृष्ठ भाग पर स्पष्ट शब्दों में लिखा होना आवश्यक होगा एवं पोस्टल पता सहित बडे लिफाफा में डालकर स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा जिला – दुर्ग (छ.ग.) को प्रस्तुत करना होगा।
8. ऑफर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से ही स्वीकार की जावेगी।

क्रमशः – 02

9. सफल ऑफरदाता को अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा, जिसमें उल्लेखित समयानुसार अनुबंध करना होगा। समय–सीमा में अनुबंध नही किये जाने की स्थिति में जमा अमानत राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी, जिसकी पृथक से सूचना नही दी जावेगी।
10. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पलिक निगम, भिलाई–चरौदा, जिला – दुर्ग (छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
11. आवश्यकतानुसार कार्य की समयावधि को कम या अधिक करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा जिला – दुर्ग (छ.ग.) के पास सुरक्षित रहेगा।
12. अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य नही करने की स्थिति में/अनुबंध की शर्तों के उल्लघन की स्थिति में धरोहर राशि राजसात कर दण्ड विधान के तहत् कार्यवाही की जावेगी।
13. मिलेट्स कैफे के संचालन हेतु 18 वर्ष से कम आयु के कामगार नही रखे जावेंगे।
14. अनुबंधित स्व. सहायता समूह/व्यक्ति/संस्था द्वारा इस कार्य के संचालन हेतु संलग्न कर्मचारियों की गैर कानूनी कार्यों में संलिप्तता होने की स्थिति में संपूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी।
15. विभागीय अधिकारियों की दृष्टि में अनुबंधित, स्व. सहायता समुह/व्यक्ति/संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी का कार्य सही ढंग से नही करता है, उन्माद करता है, अन्य कोई ऐसा कार्य करता है जो नियम के विरूद्ध है तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त 24 (चौबीस) घंटे के अंदर उक्त कर्मचारी को कार्य से पृथक कर अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबंधित स्व. सहायता समूह/व्यक्ति/संस्था बाध्य होगी।
16. अनुबंधित स्व. सहायता समुह/व्यक्ति/संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी से निगम की कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली अनुबंधित स्व. सहायता समूह/व्यक्ति/संस्था से की जावेगी।
17. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों की समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित स्व. सहायता समूह/व्यक्ति/संस्था की होगी।
18. उपरोक्त कार्य के संचालन संधारण में विद्युत एवं अन्य संधारण कार्य, प्राकृतिक आपदा, चोरी, तोड़फोड़ एवं अन्य किसी प्रकार के नुकसान का संधारण संबंधित स्व. सहायता समूह/व्यक्ति/संस्था को स्वयं के व्यय से करना होगा। समस्त विद्युत देयको का भुगतान संचालक द्वारा किया जायेगा।
19. कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित स्व. सहायता समूह/व्यक्ति/संस्था की होगी।
20. E.O.I. खोलने की कार्यवाही के दौरान सर्वप्रथम अमानत राशि जमा वाले लिफाफा खोला जावेगा, निर्धारित अमानत राशि एवं पंजीयन प्रमाण पत्र जमा पाये जाने उपरांत ही E.O.I. ऑफर पत्र वाला लिफाफा खोला जावेगा। निर्धारित अमानत राशि एवं पंजीयन प्रमाण पत्र जमा नही पाये जाने पर ऑफर पत्र E.O.I. वाला लिफाफा नही खोला जावेगा तथा संबंधित अवेदनकर्ता का जमा/प्राप्त E.O.I. निरस्त माना जावेगा।

क्रमशः – 03

21. आवेदक द्वारा ऑफर पत्र में नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा को देय राशि रू. /प्रतिमाह में अंकित करना होगा। देय राशि प्रतिमाह 15 तारीख तक निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। देय राशि प्रतिमाह 15 तारीख तक जमा नही करने की स्थिति में 18% वार्षिक की दर से ब्याज अतिरिक्त जमा करना होगा एवं लगातार 02 माह देय राशि जमा नही करने की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर दी जावेगी। समस्त देय राशि मय ब्याज वसूली योग्य होगा।
22. आवेदक का कार्यकाल अधिकतम 01 वर्ष तक रहेगा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में कार्यकाल 01 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा।
23. आवेदक को पंचसूत्र के सिद्धांत का पालन करते पाया जाना चाहिए।
24. E.O.I. की स्वीकृति/अस्वीकृत का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा के पास सुरक्षित होगा।
25. E.O.I. के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
26. आवेदन स्पीड/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति सूचना में दिये गये समयानुसार कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा के पते में जमा करना अनिवार्य है। अन्य विधि से एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नही होगा।
27. विस्तृत नियम एवं शर्तें कार्यालयीन अवधि में कार्यालय के सूचना पटल एवं विभागीय वेबसाईट www.nagarnigambhilaicharoda.in में देखी जा सकती है।
28. उपरोक्त कार्यों/शर्तों के उल्लंघन, पद दण्ड एवं कार्य निरस्तीकरण के संबंध में आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई–चरौदा

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

क्र./387/लो.नि.वि./2023 भिलाई–चरौदा, दिनांक :– 18.08.2023

//रूची की अभिव्यक्ति (E.O.I.) //

छ.ग. शासन की महत्वाकांक्षी योजना **मिलेट कैफे, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा क्षेत्रान्तर्गत तहसील कार्यालय के पास संचालन कराया** जाना है, जिसके लिए महिला स्व. सहायता समूहों/व्यक्तियों/संस्थाओं से **दिनांक – 19.08.2023 से दिनांक – 11.09.2023 समय – संध्या 05:00** बजे तक रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। **रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) खोलने की तिथि – 12.09.2023 समय – अपरान्ह 03:00** बजे है।

सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, आवश्यक दस्तावेज व अन्य जानकारी नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा की वेब–साईट **www.nagarnigambhilaicharoda.com** से डाउनलोड कर निविदा की अंतिम तिथि तक कार्यालय में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा/स्वीकार किया जावेगा। अंतिम तिथि के बाद निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई–चरौदा

"प्रकृति को क्षति न पहुँचाए, वृक्ष लगाए, पर्यावरण को शुद्ध बनाए"

2 Col. x 6 c.m.